

[भारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्तमंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड-

अधिसूचना सं3.8/2017-संघराज्यक्षेत्रकर (दर)

नईदिल्ली, 13अक्तूबर, 2017

सा.नि.का.....- (अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 )2017 का 8 की धारा (14 की उप) धारा-1 यह, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ( संख्या, समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है (अ) 717 .नि.का.सा, तारीख, जून 28 2017 भाग, असाधारण, द्वारा भारत के राजपत्र 017 2, खंड 3, उप खंड-(i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 8/2017-संघराज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख, जून 28 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्, :-

के अधीन परंतुक का लोप किया 1 पैरा, उक्त अधिसूचना में जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं0 8/2017-संघराज्यक्षेत्र कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।

[फा .सं .349/74/2017- जीएसटी (पीटी)]

) रुचि बिष्ट (   
अवर सचिव भारत, सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या सा(अ) 717 .नि.का., तारीख, जून 28 2017 द्वारा अधिसूचना संख्या 8/2017-संघराज्यक्षेत्र कर (दर), तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित की गई थी।